

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 105]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 मार्च 2023 — चैत्र 2, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 मार्च 2023

क्र. 3746/डी. 35/21-अ/प्रारू./छ.ग./23. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 15-03-2023 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मोहन प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

**छत्तीसगढ़ अधिनियम  
(क्रमांक 4 सन् 2023)**

**छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022**

विषय सूची

**धारायें**

**विवरण**

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.
2. निर्वचन खण्ड.
3. सार्वजनिक मार्गों/स्थान में जुआ खेलना, सहायता और दुष्प्रेरण के लिए शास्ति.
4. जुआ घर का स्वामी होने या उसे चलाने या उसका भारसाधक होने के लिए शास्ति.
5. जुआ घर में पाये जाने के लिये शास्ति.
6. वर्ली, मटका का या जुआ/सट्टा के अन्य रूप से संबंधित अंकों, संख्याओं, चिन्हों, प्रतीकों अथवा तस्वीरों को मुद्रित करने अथवा प्रकाशित करने के लिए दण्ड.
7. ऑनलाईन जुआ के लिए शास्ति.
8. जुआ अथवा ऑनलाईन जुआ के लिए खाता उपलब्ध कराने के लिए शास्ति.
9. गिरफ्तार किए गए लोगों पर मिथ्या नाम और पते देने के लिए शास्ति.
10. इलेक्ट्रॉनिक/प्रिन्टमिडिया में विज्ञापन का प्रतिषेध.
11. धारा 10 के उल्लंघन के लिए शास्ति.
12. कंपनी द्वारा अपराध.
13. पुलिस को प्रवेश और तलाशी के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति.
14. रजिस्टर/इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अथवा लेख का अभिग्रहण.
15. अधिनियम का कतिपय खेलों को लागू न होना.
16. अपराधों का संज्ञान एवं विचारण.
17. नियम बनाने की शक्ति.
18. निरसन एवं व्यावृत्ति.

**छत्तीसगढ़ अधिनियम  
(क्रमांक 4 सन् 2023)**

**छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022**

छत्तीसगढ़ राज्य में जुआ तथा सट्टा में लिप्त रहकर अवैध धनोपार्जन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने, तथा जुआ एवं ऑनलाईन जुआ के रूप में उभरती सामाजिक बुराई की रोकथाम, और परिवारों के प्रति उत्पन्न होने वाले संभावित आर्थिक संकट के निवारण के लिए तथा उससे संबंधित या उनके आनुषांगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम;

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो,—

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होगा।
2. (1) इस अधिनियम में,— निर्वचन खण्ड.
  - (क) "जुआ" में बाजी लगाना या दांव लगाना अथवा आर्थिक लाभ हेतु ऑनलाईन बाजी या दांव लगाना शामिल है, किन्तु लॉटरी शामिल नहीं है;

कोई संव्यवहार, जिसके द्वारा किसी क्षमता में, चाहे जो कुछ भी हो, व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति को

किसी क्षमता में, चाहे जो कुछ भी हो, बाजी लगाने अथवा दांव लगाने के लिये नियोजित करता है, अथवा एक अन्य व्यक्ति के साथ बाजी लगाने अथवा दाँव लगाने के लिए किसी क्षमता में, चाहे जो कुछ भी हो, एक अन्य व्यक्ति को नियुक्त करता है, "जुआ" होना माना जाएगा।

बाजी लगाने अथवा दांव लगाने के संबंध में धन में अथवा अन्यथा ईनामों अथवा पुरस्कारों की प्राप्ति अथवा दांवों के वितरण का संग्रह अथवा याचना अथवा कोई कृत्य, जो बाजी लगाने अथवा दाँव लगाने की सहायता करने अथवा सुकर बनाने अथवा ऐसे संग्रह, याचना, प्राप्ति अथवा वितरण के लिए आशयित है, भी "जुआ" होना माना जायेगा।

(ख) "जुआ के उपकरण" अभिव्यक्ति "जुआ के उपकरण" में जुआ के विषयक अथवा संसाधनों के रूप में प्रयोग की गई अथवा प्रयोग किये जाने के लिए आशयित ताश, पासे, खेलने हेतु टेबल, कपड़ा,



बोर्ड, कोई वस्तु, रजिस्टर, अभिलेख अथवा इलेक्ट्रानिक अभिलेख, इलेक्ट्रानिक डिवाइस, मोबाईल एप, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर आफ फन्ड्स के प्रयोजन से किया गया अथवा प्रयोजन के लिए आशयित कोई दस्तावेज/ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, किसी जुआ के आगम तथा जुआ से संबंधित धन अथवा अन्यथा वितरित किए गए अथवा वितरित किये जाने वाले कोई ईनाम अथवा पुरस्कार शामिल हैं।

(ग) "जुआ घर" से अभिप्रेत है—

जुआ के मामले में —

(क) किसी वस्तु के व्यापारिक मूल्य पर अथवा ऐसे मूल्य का कथन करने में अथवा व्यापारिक मूल्य में परिवर्तन की धनराशि पर अथवा ऐसे परिवर्तन की धनराशि का कथन करने में प्रयोग की गई संख्या के अंकों पर, अथवा

(ख) किसी स्टॉक अथवा अंश के बाजार मूल्य पर अथवा ऐसे मूल्य का कथन करने में

- प्रयोग की गई संख्या के अंकों पर, अथवा
- (ग) वर्षा अथवा अन्य प्राकृतिक घटना के घटने अथवा न घटने पर, अथवा
- (घ) वर्ली, मटका, सट्टा के संबंध में घोषित आरंभिक, मध्य या अंत की संख्याओं या अंकों या चिन्हों या प्रतीकों या तस्वीरों के कथन करने के लिए प्रयुक्त संख्यायें या अंक या चिन्ह या प्रतीक या तस्वीरें, अथवा
- (ङ.) किसी खेल या खेल के किसी अन्य रूप के संबंध में कोई दांव अथवा बाजी लगाने के लिये आरंभिक, मध्य या अंत की संख्याओं या अंकों या चिन्हों या प्रतीकों या तस्वीरों को व्यक्त करने अथवा दर्शित करने के लिए प्रयुक्त संख्या या अंक या चिन्ह या प्रतीक या तस्वीरें, जो किसी घर, कमरे, टेन्ट, अहाते, जगह, यान, जहाज या सायबर स्पेस, ऑनलाईन जुआ प्लेटफार्म या अन्य

स्थान, चाहे जो कुछ भी हो, जिसमें ऐसा जुआ होता है अथवा जिसमें जुआ के उपकरण रखे जाते हैं अथवा ऐसे जुआ के लिए उपयोग करने अथवा रखने वाले व्यक्ति के लाभ या फायदे के लिये प्रयोग किए जाते हैं।

(घ) "ऑनलाईन जुआ" से अभिप्रेत है जुआ के किसी अन्य रूप को, किसी नाम से, चाहे वह कुछ भी हो, के अधीन अथवा किसी रूप की युक्ति को स्वीकार करके, किन्हीं अंकों अथवा संख्याओं अथवा चिन्हों अथवा प्रतीकों अथवा तस्वीरों के संयोजन अथवा किसी चयन की पद्धति से, किसी खेल अथवा प्रतियोगिता में अथवा जुआ के किसी मामले में ऑनलाईन सम्मिलित होना अथवा ऐसे अंकों अथवा संख्याओं अथवा चिन्हों अथवा प्रतीकों अथवा तस्वीरों को कम्प्यूटर, कम्प्यूटर संसाधन, कम्प्यूटर नेटवर्क, कम्प्यूटर सिस्टम या मोबाईल एप या इन्टरनेट या किसी संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, साफ्टवेयर या किसी

वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त करना अथवा ऑनलाईन प्राप्त करने का प्रयत्न करना अथवा ऑनलाईन प्राप्त करने का दुष्प्रेरण करना ।

स्पष्टीकरण – इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्दावली कम्प्यूटर संचार उपकरण, कम्प्यूटर नेटवर्क, कम्प्यूटर संसाधन, कम्प्यूटर सिस्टम, साईबर कैंफे और इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड का वहीं अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 21) में उनके लिए निर्दिष्ट है।

(ड.) “कौशल का खेल” से अभिप्रेत है कि खेल का परिणाम मुख्यतः प्रतिभागी के ज्ञान, विशेषज्ञता, प्रशिक्षण एवं अनुभव से निर्धारित होता है;

“अवसर का खेल” से अभिप्रेत है कि खेल का परिणाम मुख्यतः प्रतिभागी के ज्ञान, विशेषज्ञता, प्रशिक्षण एवं अनुभव से निर्धारित नहीं होता है बल्कि अवसर एवं भाग्य से निर्धारित होता है।

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु निर्वचन

खण्ड में स्पष्ट नहीं किये गये हैं तथा अन्य अधिनियम में परिभाषित है, उनके वही अर्थ होंगे, जैसा कि संबंधित अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है।

3. (1) कोई भी पुलिस अधिकारी, किसी सार्वजनिक मार्ग या आम रास्ते या किसी ऐसे स्थान में, जहां तक जनता को पहुंच प्राप्त है या पहुंच के लिये अनुज्ञात किया गया है, जुआ खेलते हुये या खेले जाने के लिए युक्तियुक्त रूप से संदेहास्पद किसी ऐसे व्यक्ति को अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को भी जो जुआ खेलाने में सहायता या दुष्प्रेरण करता है, पकड़ सकेगा और वारंट के बिना, तलाशी ले सकेगा।

(2) जब ऐसा व्यक्ति पकड़ा जायेगा, तो उसे अविलंब उस स्थान के संबंध में क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा और विचारण बाद दोषसिद्धि होने पर, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो तीन हजार रूपए से कम नहीं होगा, किन्तु दस हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

4. जो कोई ऐसी सीमाओं के अन्दर जिनको यह अधिनियम लागू होता है किसी घर, कमरे,

सार्वजनिक मार्गों/स्थान में जुआ खेलना, सहायता और दुष्प्रेरण के लिए शास्ति.

जुआ घर का स्वामी होने या उसे चलाने या

उसका भारसाधक होने  
के लिए शास्ति.

टेन्ट, अहाते, जगह, यान, जहाज, ऑनलाईन प्लेटफार्म अथवा स्थान का स्वामी या अधिष्ठाता या प्रयोगकर्ता होते हुए उसे जुआ घर के रूप में खोलेगा, चलाएगा या प्रयुक्त करेगा; अथवा

जो कोई, यथापूर्वोक्त किसी घर, कमरे, टेंट, अहाते, जगह, यान, जहाज, ऑनलाईन प्लेटफार्म अथवा स्थान का स्वामी या अधिष्ठाता होते हुए उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जुआ घर के रूप में खोले जाने, अधिष्ठित किए जाने, प्रयुक्त किए जाने या चलाए जाने को जानते हुए और जानबूझकर अनुज्ञा देगा; अथवा

जो कोई यथापूर्वोक्त किसी घर, कमरे, टेंट, अहाते, जगह, यान, जहाज, ऑनलाईन प्लेटफार्म अथवा स्थान की, जो पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए खुला, अधिष्ठित, प्रयुक्त किया या चलाया जाता है, की देखरेख या प्रबंध करेगा या किसी प्रकार से उसके कारोबार के संचालन में सहायता करेगा; अथवा

जो कोई, ऐसे घर, कमरे, टेंट, अहाते, जगह, यान, जहाज, ऑनलाईन प्लेटफार्म अथवा स्थान में आने वाले व्यक्तियों के साथ जुआ खेलने के प्रयोजन के लिए उधार या धन देगा,

वह —

(क) प्रथम अपराध के लिए ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किन्तु 3 वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा;

(ख) पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा,

से दण्डनीय होगा।

5. जो कोई, ऐसे किसी घर कमरे, टेन्ट, अहाते, जगह, यान, जहाज, सायबर स्पेस या अन्य स्थान में ताश, पासे, काउन्टर, धन, ऑनलाईन प्लेटफार्म या अन्य उपकरणों से जुआ खेलता हुआ पाया जाएगा या वहां जुआ खेलने के प्रयोजन से उपस्थित पाया जाएगा, वह, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

जुआ घर में जुए के खेल के दौरान पाए गए

जुआ घर में पाये जाने के लिये शास्ति.

वर्ली, मटका का या जुआ/सट्टा के अन्य रूप से संबंधित अंकों, संख्याओं, चिन्हों, प्रतीकों अथवा तस्वीरों को मुद्रित करने अथवा प्रकाशित करने के लिए दण्ड.

व्यक्ति के बारे में जब तक प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए, यह उपधारित किया जाएगा कि वह जुआ खेलने के प्रयोजन के लिए वहां था।

6. जो कोई वर्ली, मटका अथवा जुआ के किसी अन्य रूप को, किसी नाम से, चाहे जो कुछ भी हो, के अधीन, अथवा किसी रूप की युक्ति को स्वीकार करके, किन्हीं अंकों अथवा संख्याओं अथवा चिन्हों अथवा प्रतीकों अथवा तस्वीरों अथवा ऐसे किसी दो अथवा उससे अधिक ऐसे अंकों अथवा संख्याओं अथवा चिन्हों अथवा प्रतीकों अथवा तस्वीरों के संयोजन को, किसी भी रीति से, चाहें जो कुछ भी हो, मुद्रित करेगा अथवा प्रकाशित करेगा, अथवा ऐसे अंकों अथवा संख्याओं अथवा चिन्हों अथवा प्रतीकों अथवा तस्वीरों अथवा उनमें से किन्हीं दो अथवा उससे अधिक के संयोजन से सट्टा खेलने के प्रयोजन से संबंधित सूचना को प्राप्त करेगा अथवा प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा अथवा प्राप्त करने का दुष्प्रेरण करेगा,  
वह —

- (क) प्रथम अपराध के लिए ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किन्तु 3 वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुमाने से, जो दस हजार रूपए से



कम नहीं होगा किन्तु एक लाख रुपये तक का हो सकेगा;

- (ख) पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा ।

7. जो कोई ऑनलाईन जुआ खेलवायेगा या खेलेगा या खेलाने में सहयोग करेगा या खेलाने का दुष्प्रेरण करेगा,— ऑनलाईन जुआ के लिए शास्ति.

वह—

- (1) प्रथम अपराध के लिए, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु 3 वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा,
- (2) पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु 7 वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा

किन्तु दस लाख रूपए तक हो  
सकेगा,

से दण्डनीय होगा।

जुआ अथवा ऑनलाईन  
जुआ के लिए खाता  
उपलब्ध कराने के लिए  
शास्ति.

8. जो कोई व्यक्ति जुआ अथवा ऑनलाईन जुआ के लिए स्वेच्छा से अपना बैंक खाता, मोबाईल एप वॉलेट खाता या अन्य कोई खाता, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, उपलब्ध कराता है और उससे लाभ अर्जित करता है, तो वह, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

गिरफ्तार किए गए लोगों  
पर मिथ्या नाम और पते  
देने के लिए शास्ति.

9. यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रवेश किए गए किसी सामान्य जुआ घर में पाया गया कोई व्यक्ति, ऐसे किसी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर या ऐसे किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लाये जाने पर, ऐसे किसी अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपना नाम एवं पता देने की अपेक्षा किए जाने पर, उसे देने से इंकार करेगा या उपेक्षा करेगा या कोई मिथ्या नाम एवं पते बताएगा, तो वह, विचारण बाद दोषसिद्धि होने पर, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

10. ऐसे जुआ के सभी खेल, जहां कौशल पर अवसर की प्रधानता हो, उक्त सभी खेलों का इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंटमीडिया पर विज्ञापन का प्रतिषेध होगा। इलेक्ट्रॉनिक/प्रिन्टमीडिया में विज्ञापन का प्रतिषेध.
11. जो कोई धारा 10 के प्रावधान का उल्लंघन करेगा, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुमाने से, जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। धारा 10 के उल्लंघन के लिए शास्ति.
12. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध कारित करने वाला व्यक्ति, कंपनी है, तो उस कंपनी के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय, उस कंपनी का भारसाधक था और उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए जवाबदेह था, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किये जाने के लिये दायित्वधीन होंगे: कंपनी द्वारा अपराध.
- परंतु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात, किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का दायी नहीं बनायेगा, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध, उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध कारित होने से रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा कारित किया गया है और यह साबित होता है कि वह अपराध, कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है अथवा उनकी किसी उपेक्षा के कारण वह अपराध कारित हुआ है, वहां ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किये जाने के लिये दायित्वधीन होंगे।

स्पष्टीकरण .- इस धारा के प्रयोजन के लिए ,-

(क) "कंपनी" से अभिप्रेत है कोई निगमित निकाय और इसमें फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी सम्मिलित है; तथा

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से अभिप्रेत है उस फर्म का भागीदार।

पुलिस को प्रवेश और तलाशी के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति.

13. यदि किसी जिले के जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियों से विनिहित किसी अन्य अधिकारी या

उप-पुलिस अधीक्षक से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी के पास विश्वसनीय सूचना होने पर और ऐसी जाँच के पश्चात्, जैसे वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई घर, कमरा, टेंट, अहाता, जगह, यान, जहाज, सायबर कैफे, सायबर स्थल/प्लेटफार्म या अन्य स्थान जुआ घर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वह ऐसे घर, कमरे, टेंट, अहाते, जगह, यान, जहाज, सायबर कैफे, सायबर स्थल/प्लेटफार्म या अन्य स्थान में, या तो स्वयं प्रवेश कर सकेगा या अपने वारंट द्वारा उप-निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न के पुलिस अधिकारी को ऐसी सहायता सहित, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, किसी भी समय, और यदि आवश्यक हो तो, बल पूर्वक प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा,

और ऐसे सभी व्यक्तियों, जिन्हें वह या ऐसा अधिकारी ऐसे स्थान के अन्दर पाता है, चाहें वे उस समय जुआ खेल रहें हों या न खेल रहे हों, को या तो स्वयं अभिरक्षा में ले सकेगा या अभिरक्षा में लेने के लिए ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा;

और जुआ खेलाने के सभी उपकरणों को, और सभी धनों और धनों के प्रतिभूतियों को और मूल्यवान वस्तुओं को, जो वहां पाई जाए और जिनके बाबत् युक्तियुक्ततः यह सन्देह है कि जुआ खेलाने के प्रयोजन के लिए उनका प्रयोग किया गया है या प्रयोग किया जाना आशयित है, और सभी धनों और धनों के प्रतिभूतियों को भी, जो कि धारा 4 के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों के

पास से पाई जाएं, जो जुआ खेल रहे थे या जुआ खेलने के उद्देश्य से वहां पर उपस्थित थे, को अभिग्रहित कर सकेगा या अभिग्रहित करने के लिए ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा;

और ऐसे घर, कमरे, टेंट, अहाते, जगह, यान, जहाज, सायबर कैफे, सायबर स्थल/प्लेटफार्म या अन्य स्थान के, जिसमें वह या ऐसा अधिकारी प्रवेश कर चुका हो, सब भागों की, जब उसके या ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जुआ खेलने का कोई उपकरण उनमें छुपाए हुए हैं और उन व्यक्तियों के शरीर की भी, जिनका उसने या ऐसे अधिकारी ने अभिरक्षा में लिया है, तलाशी ले सकेगा या तलाशी लेने के लिए ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा;

ऐसी तलाशी में पाये गये जुआ खेलाने के सभी उपकरणों को अभिग्रहित कर सकेगा या अभिग्रहित करने के लिए और कब्जा लेने के लिए ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।

और ऐसे बैंक खाते, मोबाईल एप वॉलेट खाता या अन्य कोई खाता, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो जुआ एवं ऑनलाईन जुआ के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, ऐसे सभी खातों का संचालन रोकने के लिए कार्यवाही कर सकेगा या कार्यवाही करने के लिए ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।

और यदि जुआ अथवा ऑनलाईन जुआ के आगम से कोई सम्पत्ति स्वयं के नाम पर

अथवा बेनामी रूप से आरोपी के द्वारा अर्जित की गई है, तो वह अधिहरण के अध्यक्षीन होगी।

14. यदि जिला मजिस्ट्रेट अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथवा अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी की यह राय है कि कोई रजिस्टर, अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, लेख, लैपटॉप, मोबाईल, कम्प्यूटर अथवा किसी प्रकार के लेख/इलेक्ट्रॉनिक लेख, चाहे जो कुछ भी हो, जिसमें वर्ली, मटका, जुआ खेलने अथवा जुआ/सट्टा के किसी अन्य रूप से संबंधित अंक, संख्या, चिन्ह, प्रतीक अथवा तस्वीर अथवा ऐसे अंकों, संख्याओं, चिन्हों, प्रतीकों अथवा तस्वीरों के किसी दो अथवा उससे अधिक का संयोजन अन्तर्विष्ट है, तब वह उसे अभिग्रहित करने के लिए हकदार होगा तथा ऐसा रजिस्टर अभिलेख/इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, जुआ का उपकरण होना उपधारित किया जाएगा, इसी तरह किसी मोबाईल, कम्प्यूटर अथवा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइज में यदि सट्टा/जुआ खेलने संबंधी एप्लीकेशन डाउनलोड होना एवं उपयोग किया जाना पाया जाता है, तो यह उपधारित किया जाएगा कि उसे जुआ अथवा सट्टा खेलने के उद्देश्य से डाउनलोड किया गया है, जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा, जिससे वह अभिग्रहित किया गया है, यह सिद्ध न कर

रजिस्टर/इलेक्ट्रॉनिक  
अभिलेख अथवा लेख का  
अभिग्रहण.

दिया जाये कि उक्त अभिग्रहित सम्पत्ति किसी वैध संव्यवहार के वैध व्यापार, उद्योग, पेशा अथवा व्यवसाय के अनुक्रम में किसी संव्यवहार का रजिस्टर, अभिलेख, इलेक्ट्रानिक अभिलेख अथवा लेख है अथवा जुआ का उपकरण नहीं है।

अधिनियम का कतिपय खेलों को लागू न होना.

15. इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों की कोई भी बात, मात्र कौशल के लिए खेले गये किसी खेल को लागू नहीं समझी जायेगी, बल्कि अवसर एवं भाग्य के खेलों को ही लागू होगी।

अपराधों का संज्ञान एवं विचारण.

16. (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) में अन्तर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी—

(क) इस अधिनियम के अधीन धारा-3, धारा-5, धारा-8 एवं धारा-9 के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होंगे तथा धारा-4, धारा-6, धारा-7, धारा-11 एवं धारा-12 के अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होंगे।

(ख) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्न न्यायालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम में दण्ड के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में एवं इस अधिनियम की राज्य के किसी अन्य अधिनियम से किसी असंगति की दशा में इस अधिनियम के उपबन्धों का उस असंगति



की सीमा तक राज्य के ऐसे अधिनियम के उपबंधों पर अध्यारोही प्रभाव होगा।

17. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधो को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी, जो उनके प्रकाशन की तारीख से या ऐसी अन्य तारीख से प्रभावी होंगे, जो कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए।
- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों को उनके प्रकाशित होने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र विधानसभा के पटल पर रखा जायेगा।
18. (1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से छत्तीसगढ़ में प्रभावशील एवं विद्यमान सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (क्रमांक 3 सन् 1867) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन किया गया निरसन, ऐसे निरसित अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा तथा निरसित अधिनियम के प्रावधानों के द्वारा या उसके अन्तर्गत किये गए कोई कार्य, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत हो, इस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया माना जायेगा और वे तब तक प्रभावशील रहेंगे, जब तक इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी कार्यवाही द्वारा निलंबित न किया जाए।
- नियम बनाने की शक्ति.
- निरसन और व्यावृत्ति.

अटल नगर, दिनांक 23 मार्च 2023

क्र. 3746/डी. 35/21-अ/प्रारू./छ.ग./23. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 23-03-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मोहन प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

## CHHATTISGARH ACT

(No. 4 of 2023)

### THE CHHATTISGARH GAMBLING (PROHIBITION) ACT, 2022

#### INDEX

<b>Section</b>	<b>Particulars</b>
1.	Short title, extent and commencement.
2.	Interpretation Clause.
3.	Penalty for Gambling at public road/place or aid or abetment.
4.	Penalty for owing or keeping or having charge of a Gambling House.
5.	Penalty for being found in Gambling House.
6.	Punishment for printing or publishing digits, figures, signs, symbols or pictures relating to Worli, Matka, other form of Gambling/ Satta.
7.	Penalty of Online Gambling.
8.	Penalty for providing account for gambling or online gambling.
9.	Penalty on persons arrested for giving false name and addresses.
10.	Prohibition on advertisement in electronic/print media.
11.	Penalty for contravention of section 10.
12.	Offence by companies.
13.	Power to authorize police for entry and search.
14.	Seizure of Register/Electronic Record or Script.
15.	Act not to apply to certain games.
16.	Cognizance of Offence and Trial.
17.	Power to make rules.
18.	Repeal and Saving.

**CHHATTISGARH ACT****(No. 4 of 2023)****THE CHHATTISGARH GAMBLING (PROHIBITION) ACT, 2022**

An Act to curb the tendency of extracting illegal money by involving in Gambling and Satta and to prevent the social evil of Gambling and online Gambling and to prevent the consequential financial trouble on the families in the State of Chhattisgarh and for relating to and incidental thereto;

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Third Year of the Republic of India, as follows:-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Gambling (Prohibition) Act, 2022. **Short title, extent and commencement.**
- (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. (1) In this Act,- **Interpretation clause.**
  - (a) “**Gambling**” includes the wagering or betting, or wagering or betting through online for the purpose of financial gain, but does not include lottery;

Any transaction by which a person in any capacity whatever, employs to wager or bet another in any capacity whatever, or for another in any capacity whatever, appoints to wager or bet with another person, shall be deemed to be "Gambling";

The collection or soliciting of distribution of bets or the receipt of winnings or prizes in money or otherwise in respect of wagering or betting or any act which is intended to aid or facilitate wagering or betting or such collection, soliciting, receipt or distribution shall also be deemed to be "Gambling";

- (b) **“Instrument of Gambling”**  
expression “Instrument of Gambling” includes cards, dice, table for gambling, cloth, any article used or intended to be used as a subject or means of gambling, register, record or electronic record, electronic device, mobile app, any document /electronic records made or intended

for the purposes of electronic transfer of fund, or the proceeds of any gambling and the winning or prizes in money or otherwise distributed or to be distributed in respect of any gambling.

(c) “**Gambling house**” means,-

In the case of gambling,-

- (a) on the trade value of any article or in stating such value or on the amount of variation in the trade value or on the digits of the number used in stating the amount of such variation; or
- (b) on the market price of any stock or shares or on the digits of the number used in stating such price, or
- (c) on the occurrence or non-occurrence of rainfall or other natural event; or

(d) on the digit or figure or sign or symbol or picture used in stating the opening, middle or closing digits or figures or signs or symbols or pictures declared for or in connection with worli, matka, satta, or

(e) on the digit or figure or sign or symbol or picture for stating or showing the opening, middle or closing digits or figures or signs or symbols or pictures for wagering or betting in connection with any gaming and any other form of gaming, any house, room, tent, enclosure, space, vehicle, vessel or cyber space, online gambling platform or any place whatsoever in which such gambling takes place or in which instruments of gambling are kept or used for

the profit or gain of the person using or keeping for such gambling.

- (d) “**Online Gambling**” means to involve online in any gambling or competition or any gambling in any form in any name whatever it may be or accepting the method in any form of combination of any digits or figures or signs or symbols or pictures or by any process of selection, or obtains online or attempts to obtain online or abets to obtain online through computer, computer application, computer network, computer system or mobile app or internet or any other communication device, electronic application, software or any virtual platform of such digits or figures or signs or symbols or pictures.

**Explanation-** Word computer communication device, computer network, computer resources, computer system, cyber café and

electronic record used in this Act, shall have the same meaning referred for them in the Information Technology Act, 2000 (No. 21 of 2000);

**(e) “Game of Skill”** means that outcome of the game is predominantly determined by the knowledge, training, expertise and experience of the participant;

**Game of Chance”** means that outcome of the game is not predominantly determined by the knowledge, training, expertise and experience of the participant but it determined by the chance and luck.

(2) Words and expressions used in this Act, but not articulated in the Interpretation Clause and defined in other Acts, shall have the same meaning as assigned to them in respective Acts.

**Penalty for  
Gambling at public  
road/place or aid  
or abetment.**

**3.** (1) A police officer may apprehend and search without warrant, any person found gambling or reasonably suspected to be gambling or any person who aids or abets



in gambling in any public street or thoroughfare or in any place to which the public have or are permitted to have access.

- (2) Such person when apprehended shall be brought without delay before the Judicial Magistrate having jurisdiction in respect of that place and, on conviction after trial, shall be punishable with an imprisonment for a term which may extend to 6 months or liable to with fine which shall not be less than three thousand rupees but may extend to ten thousand rupees or with both.

4. Whoever being the owner or occupant or user of any house, room, tent, enclosure, space, vehicle, vessel, online platform or place, situated within the limits to which this Act applies; opens, keeps or uses the same as a gambling house; or

whoever being the owner or occupant of any house, room, tent, enclosure, space, vehicle, vessel, online platform or place as aforesaid, knowingly or willfully permits the same to be opened,

**Penalty for owing  
or keeping or  
having charge of a  
Gambling House.**

occupied, used or kept by any other person as a gambling house; or

whoever maintains or manages or in any manner assists in conducting the business of any house, room, tent, enclosure, space, vehicle, vessel, online platform or place as aforesaid and opened, occupied, used or kept for the purpose aforesaid; or

whoever advances or furnishes money for the purposes of gambling with persons to arrive at such house, room, tent, enclosure, space, vehicle, vessel, online platform or place, shall be punishable,—

(a) For the first offence, with an imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but may extend to 3 years and shall also be liable to with fine which may extend to fifty thousand rupees.

(b) For subsequent offences, with an imprisonment for a term which shall not be less than 2 years but may extend to 5 years and shall also be

liable to with fine which may extend one lakh rupees.

5. Whoever is found in any such house, room, tent, enclosure, space, vehicle, vessel, cyber space or other place, playing with cards, dice, counters, money, online gambling platform or other instruments of gambling or is found there present for the purpose of gambling, shall be punishable with an imprisonment for a term which may extend to 6 months or liable to with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.

Any person found in any gambling house during any gambling therein shall be presumed, until the contrary be proved, to have been there for the purpose of gambling.

6. Whoever prints or publishes in any manner whatsoever any digits or figures or signs or symbols or pictures or combination of any two or more of such digits or figures or signs or symbols or pictures relating to Worli, Matka or in other form of gambling under any heading whatever or by adopting any form of

**Penalty for being found in Gambling House.**

**Punishment for printing or publishing digits, figures, signs, symbols or pictures relating to Worli, Matka, other form of Gambling / Satta.**

device, or disseminates or attempts to disseminate or abets dissemination of information for the purpose of playing satta by such digits or figures or signs or symbols or pictures or combination of any two or more of them, shall be punishable,-

(a) For the first offence, with an imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but may extend to 3 years and shall also be liable to with fine which shall not be less than ten thousand rupees but may extend to one lakh rupees.

(b) For subsequent offences, with an imprisonment for a term which shall not be less than 1 years but may extend to 5 years and shall also be liable to with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but may extend to five lakh rupees.

**Penalty of Online  
Gambling.**

**7.**

Whoever makes anyone indulge, or indulges or aids in making anyone indulge or abets in making anyone indulge in online gambling, shall be punishable,-

- (1) For the first offence with an imprisonment for a term which shall be not less than 1 year but which may be extend to 3 years and shall also be liable to with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but may extend to five lakh rupees.
- (2) For subsequent offences, with an imprisonment for a term which shall not be less than 2 years but may extend to 7 years and shall also be liable to with fine which shall not be less than one lakh rupees but may extend to ten lakh rupees.

**8.** Whoever voluntarily makes available his bank account, Mobile app wallet account or any other account, by whatever name it is known, for gambling or online gambling and earns any profit from it, shall be punishable with an imprisonment for a term which may extend to 6 months or liable to with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.

**Penalty for  
providing account  
for gambling or  
online gambling.**

- Penalty on persons arrested for giving false name and addresses.**      **9.**      If any person found in any gambling-house entered by any Magistrate or officers of police under the provisions of this Act, upon being arrested by any such officer or upon being brought before any such Magistrate, on being required by such officer or Magistrate to give his name and address, refuses to give the same, or gives any false name and address, on conviction after trial, shall be punishable with an imprisonment for a term which may extend to 6 months or liable to with fine which may extend to five thousand rupees or with both.
- Prohibition on advertisement in electronic/print media.**      **10.**      Advertisement of all such gambling games on electronic and print media where chance prevails over the skills shall be prohibited.
- Penalty for contravention of Section 10.**      **11.**      Whoever contravenes of the provision of Section 10 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years and liable to with fine which may extend to fifty thousand rupees.

- 12.** (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company, as well as every person in-charge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that, nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other

**Offence by  
companies.**

officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

**Explanation.**—For the purposes of this Section,—

- (a) “**company**” means a body corporate, and includes a firm or other association of individuals; and
- (b) “**director**” in relation to a firm, means a partner in the firm.

**Power to authorize police for entry and search.** 13.

If the District Magistrate of a district or Additional District Magistrate or Other Officer vested with the powers of a Executive Magistrate, or Officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police, upon credible information, and after such inquiry as he may think necessary, has reason to believe at any house, room, tent, enclosure, space, vehicle, vessel, cyber café, cyber space/platform or other place is used as a common gambling house, he may, in any time either himself enter, or by his



warrant authorize any officer, not below the rank of Sub-Inspector, to enter with such assistance as may be found necessary, and if necessary, to enter by force, in such house, room, tent, enclosure, space, vehicle, vessel, cyber café, cyber space/platform or other place

And may either himself take into custody or authorize such officer to take into custody, all persons whom he or such officer finds therein, whether or not then actually gambling;

And may seize or authorize such officer to seize all instruments of gambling and all moneys and all securities for money and articles of value reasonably suspected to have been used or intended to be used for the purposes of gambling which are found therein, and all moneys and all securities for money found under Section 4 with the persons who are playing game or present there for purpose of gambling;

And may search or authorize such officers to search all part of such house,

room, tent, enclosure, space, vehicle, vessel, cyber café, cyber space/ platform, or other place which he or such officer shall have so entered when he or such officer has reason to believe that any instrument of gambling are concealed therein, and also the persons of those whom he or such officer so takes into custody;

And may seize or authorize such officer to seize and take possession of all instruments of gambling found upon such search;

And he may take action and may authorize such officer to take action for freezing the operation of such bank account, Mobile app wallet account or any other account, by whatever name it is known, being used for gambling or online gambling;

And if accused has earned any property from the proceeds of gambling or online gambling on his name or in benami shall be subjected to confiscation.

- 14.** If the District Magistrate or the Additional District Magistrate or Other Executive Magistrate or Investigating Police Officer is of the opinion that any register, record, electronic record, script, lap-top, mobile, computer, or any kind of script/electronic script whatsoever which contains digits or figures or signs or symbols or pictures or combination of any two or more of such digits or figures or signs or symbols or pictures relates to worli, matka, gambling or some other form of gambling/satta, he shall be empowered to seize the same and such register, record/electronic record, shall be presumed to be an instrument of gambling, similarly in any mobile, computer, or electronic device, any application of gambling or Satta is found to have been downloaded and used, then it shall be presumed to have been downloaded for the purpose of gambling /Satta, unless it is proved by the person from whom it has been seized that the said seized property is a register, record, electronic record or script of any transaction in connection with a lawful
- Seizure of Register/Electronic Record or Script.**

trade, industry, business, profession or vocation or it is not an instrument of gambling.

**Act not to apply to certain games.**

**15.**

Nothing in the foregoing provisions of this Act shall not be held to apply to any Game played for mere Skill but shall only apply to games of the chance and luck.

**Cognizance of Offence and Trial.**

**16.**

(1) Notwithstanding anything contained herein contrary to the Criminal Procedure Code, 1973 (No. 2 of 1974),-

(a) Offences under section-3, section-5, section-8 and section-9 of this Act shall be cognizable and bailable and offences under section-4, section-6, section-7, section-11 and section-12 of this Act shall be cognizable and non-bailable;

(b) No court inferior to that of a Judicial Magistrate of the First Class shall try any offence punishable under this Act.

(2) The penal provisions in this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other Act for the time being in force and in case of any

inconsistency of this Act with the provisions of any other State Act, the provisions of this Act shall, to the aforesaid extent of such inconsistency, have overriding effect over any such State Act.

- 17.** (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act, which shall come into force from the date of their publication or from such date as may be specified in this behalf. **Power to make rules.**
- (2) Every rule made under this Act, after it is published, shall be laid before the Legislative Assembly as soon as may be possible.
- 18.** (1) The Public Gambling Act, 1867 (No. 3 of 1867), effective and existing in Chhattisgarh, shall be, hereby, deemed to be repealed from the date of enactment of this Act; **Repeal and Saving.**
- (2) The repeal made under sub-section (1) shall not affect the previous operation of the enactment so repealed, and

anything done by or under provision of the Act so repealed shall, in so far as it is inconsistent with any provisions of this Act, be deemed to have been done under this Act and shall remain effective till it has been suspended by any proceeding under provision of this Act.